# राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30 जून, 2023 की बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 30 जून, 2023 को 11.00 बजे प्रशासनिक खण्ड के प्रथम तल पर स्थित समिति कक्ष में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | आचार्य प्रमोद कुमार जैन, निदेशक | - | अध्यक्ष |
| **2.** | आचार्य विकाश कुमार दुबे, अधिष्ठाता (अनुसंधान एवं विकास) | - | सदस्य |
| **3.** | आचार्य लाल प्रताप सिंह, अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) | - | सदस्य |
| **4.** | आचार्य राजीव श्रीवास्तव, अधिष्ठाता (संसाधन एवं पूर्व छात्र) | - | सदस्य |
| **5.** | आचार्य एस.बी.द्विवेदी, अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य) | - | सदस्य |
| **6.** | आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव, भैषजकीय अभियांत्रिकी विभाग | - | सदस्य |
| **7.** | आचार्य संजय कुमार पांडेय, गणितीय विज्ञान विभाग | - | सदस्य |
| **8.** | डॉ. सर्वेश कुमार तिवारी, संयुक्त कुलसचिव (प्रशासन-II) | - | सदस्य |
| **9.** | श्रीमती स्वाति बिस्वास, संयुक्त कुलसचिव (लेखा) | - | सदस्य |
| **10.** | श्री रवि कुमार, सहायक कुलसचिव (राजभाषा) | - | सदस्य सचिव |

आचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी, संगणक विज्ञान विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति,आचार्य रजनेश त्यागी, अधिष्ठाता (संकाय कार्य), श्री राजन श्रीवास्तव, कुलसचिव (प्रभार), आचार्य सत्यवीर सिंह एवं श्री जगदीश नारायण राय, संयोजक, केंद्रीय सचिवालय, हिंदी परिषद, वाराणसी बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

उपरोक्त बैठक में श्री महेश पांडेय, प्रणाली विशेषज्ञ (सी.सी.आई.एस), श्री शशांक पाठक, हिन्दी अनुवादक तथा श्री राजीव रंजन, अधीक्षक भी उपस्थित रहे।

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के मदों पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

**मद सं. 1: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17 मार्च, 2023 की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:**

दिनांक 17 मार्च, 2023 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की समिति ने पुष्टि की।

**मद सं. 2: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 17 मार्च, 2023 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा:**

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17 मार्च, 2023 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. हिन्दी में तैयार शैक्षणिक प्रपत्रों को पूर्ण रूप से संशोधित करने के उपरांत अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य) कार्यालय को भेजा गया था। उक्त प्रपत्रों को सीनेट में रखवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य) से अनुरोध किया गया था।
   इस संबंध में निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य) द्वारा उक्त प्रपत्रों को निदेशक सह अध्यक्ष, सीनेट से अनुमोदित कराकर, वर्तमान सत्र से प्रयोग में लाया जाए। साथ ही उक्त प्रपत्रों पर अध्यक्ष, सीनेट के अनुमोदन को सीनेट की आगामी बैठक में पुष्टिकरण हेतु रखा जाए।

2. संस्थान में संग्रहालय को स्थापित करने की दिशा में जिन विभागों/स्कूलों/इकाइयों से मशीन/उपकरण एवं पाण्डुलिपि की सूची प्राप्त हुई है, उसमें से कोई भी प्राचीनता एवं पुरातात्विक महत्व का नहीं है। सभी मशीनों को प्राचीनता एवं पुरातात्विक महत्व के आधार पर जाँचने पर कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः यह निर्णय लिया गया कि सभी विभागों/स्कूलों/इकाइयों से पुनः पुरातात्विक महत्व के मशीनों/उपकरणों की सूची 15 दिनों के भीतर राजभाषा प्रकोष्ठ को भेजने का अनुरोध किया जाए। उक्त सूची को विभाग/स्कूल अपने डिपार्टमेंटल फैकल्टी अफेयर्स कमेटी (DFAC) की बैठक में रखकर स्वीकृत करा के ही भेंजे।

3. समिति को अवगत कराया गया कि आचार्य विनय कुमार सिंह, सिरामिक अभियांत्रिकी विभाग से हिन्दी में पुस्तक लेखन के खर्चों का विवरण एक लाख के अंदर देने का अनुरोध किया गया था, परंतु उनके द्वारा पुनः दो लाख के खर्चों का विवरण भेजा गया है तथा पुस्तक लेखन का कार्य करने के लिए डॉ. प्रीतम सिंह के नाम की संस्तुति की है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चूँकि खर्चों का विवरण बार-बार दो लाख का दिया जा रहा है अतः उक्त प्रस्ताव को रद्द किया जाता है तथा डॉ. प्रीतम सिंह से सिरामिक अभियांत्रिकी से संबन्धित पुस्तक लेखन के प्रस्ताव को तैयार करके भेजने का अनुरोध किया जाए।
4. संस्थान की वेबसाइट को हिन्दी में तैयार करने के क्रम में मुख्य पृष्ठ (https://devtst.iitbhu.ac.in) एवं राजभाषा प्रकोष्ठ के अद्यतन वेबपेज (https://iitbhu.ac.in/rajbhasha) को समिति के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया।

शशांक पाठक सर्वेश

कृ.पृ.उ.

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि मुख्य पृष्ठ (https://devtst.iitbhu.ac.in) में निदेशक के संदेश को हिन्दी में आचार्य संजय कुमार पांडेय द्वारा 03 दिन के अंदर तैयार किया जाए तथा तैयार संदेश को ई-मेल के माध्यम से समिति के सदस्यों को एक सप्ताह के भीतर अपनी अपनी टिप्पणी देने हेतु भेजा जाय।

इसके उपरांत प्राप्त होने वाले संशोधनों को वेब मैनेजमेंट टीम द्वारा सही करके राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए।

5. समिति को अवगत कराया गया कि राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के मानक रूप को हिन्दी में तैयार करके उप कुलसचिव (लेखा) के पास टिप्पणी देने हेतु भेजा गया था। इस पर प्राप्त टिप्पणी के अनुसार संशोधन करके समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने उक्त निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र की एक बार पुनः समीक्षा करने हेतु डॉ. सर्वेश कुमार तिवारी, संयुक्त कुलसचिव (प्रशा0)- II एवं उनके द्वारा चयनित एक अन्य सदस्य को नामित किया है।

6. समिति को यह अवगत कराया गया कि आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव, भैषजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पुस्तक लेखन के प्रस्ताव को पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार छः माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने उक्त पुस्तक को दिसंबर 2023 में पूर्ण करके उसके प्रथम प्रारूप को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

7. संस्थान में आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में भैषजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की एक 3-4 पेज की रिपोर्ट के लिए आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव से अनुरोध किया जाए।

**मद सं. 3: राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को संस्थान की ऑनलाइन माध्यम से भेजी गयी पिछली चार हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा।**

समिति के समक्ष पिछली चार तिमाहियों (अप्रैल-जून, 2022 से जनवरी-मार्च, 2023) के हिन्दी प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति ने संतोष व्यक्त किया।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने के प्रतिशत को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाए, जिसके लिए पत्रों के प्रारूप इस प्रकार तैयार किए जाए कि तकनीकी प्रकार के पत्रों में ऊपर के संबोधन वाले भाग, विषय और नीचे के प्रेषक वाले भाग को हिन्दी में रखा जाए तथा बीच के मूल विषय-वस्तु को अंग्रेजी में यथावत रखा जाए।

**मद सं. 4: संस्थान में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग एवं अन्य मद पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए-**

**क)** वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को एक शब्दावली निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा जाए, जिसमें उनके द्वारा संस्थान के अभियांत्रिकी विभागों की एक शब्दावली निर्माण करने का अनुरोध किया जा सकता है।

**ख)** प्रत्येक तिमाही हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के क्रम में आचार्य संजय कुमार पांडेय, गणितीय विज्ञान विभाग को एक कार्यशाला गणित विज्ञान पर हिन्दी में करवाने का अनुरोध किया जाए। उक्त कार्यशाला सितंबर 2023 माह में हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित की जाए।

(रवि कुमार)
सदस्य सचिव

(स्वाति बिस्वास)
सदस्य

(सर्वेश कुमार तिवारी)
सदस्य

(संजय कुमार पांडेय)
सदस्य

(सुशांत कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य

(एस.बी.द्विवेदी)
सदस्य

(राजीव श्रीवास्तव)
सदस्य

(लाल प्रताप सिंह)
सदस्य

(विकास कुमार दुबे)
निदेशक

(प्रमोद कुमार जैन)
अध्यक्ष